न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 62/2020
तारीख दायर : 10.09.2020

अनवान

1. रमेशचन्द्र पिता उगमा जाति मेघवाल निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ़।

——प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

——अप्रार्थी

उपस्थित :–

1. श्री संदीप शर्मा (अधिवक्ता प्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 14.10.2020

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम काछोला पटवार हल्का काछोला में स्थित भूमि आराजी संख्या 871 रकबा 0.4856 हैक्टेयर पर पैदल सजबैल ट्रेक्टर से आने जाने का एक मात्र कदीमी समय से रास्ता 20 फीट चौड़ा रास्ता स्थित है। जो ग्राम काछोला आबादी हल्का से होता हुआ ग्राम काछोला राजगढ़ ग्रामीण सड़क आराजी नम्बर 3343/694 से होता हुआ विपक्षी की आराजी संख्या 905 के उत्तरी पूर्व कोने पर प्रवेश कर आराजी नम्बर 905 की उत्तरी भुजा के सहारे सहारे प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 871 के उत्तरी पूर्वी कोने पर पहुँचता है। रास्ते का उपयोग उपभोग पिछले कई वर्षो से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 871 पर पहुँचने के लिए करता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की भूमि पर जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। परन्तु विपक्षी की भूमि आराजी नम्बर 905 सरकारी होने से आये दिन उक्त रास्ते पर गांव के व्यक्ति अतिक्रमण कर रास्ता अवरूद्ध करने पर आमादा है। इसलिए उक्त रास्ते को रेकॉर्ड में रास्ता दर्ज कराने के अतिरिक्त प्रार्थी के पास अन्य कोई उपचार शेष नही रहा है। उक्त रास्ते में जो भी भूमि कटेगी उसका प्रार्थीगण नियमानुसार डी.एल.सी. दर जमा कराने को तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 871 पर पहुँचने के लिए विपक्षी संख्या की खातेदारी में दर्ज भूमि आराजी संख्या 905 उत्तरी पूर्वी कोने पर 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलाये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

बाद जांच प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र भेज कर तलब किया गया। दिनांक 29.09.2020 को विपक्षीगण तहसीलदार का बाद तामिल नोटिस प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

दिनांक 12.10.2020 [illegible] के पत्र क्रमांक कोर्ट/2020/2033 दिनांक 09.10.2020 द्वारा रि[illegible] प्रा[illegible] हुई। यह कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि ग्राम काछोला पट[illegible] संख्या 871 रकबा 0.4856 हैक्टेयर पर पहुंचने के लि[illegible] संख्या 905 रकबा 0.72[illegible] हैक्टेयर में 20 फीट चौड़े रास्ते हेतु [illegible] आराजी पर पहुंचने के लि[illegible] राजस्व रिकॉर्ड में अन्य कोई रास्ता नही है। मांगा गया रास्ता लघुतम है। विपक्षी [illegible] आराजी में से 0.0048 हैक्टयर भूमि रास्ते के उपयोग में ली जावेगी। रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली 0.0048 हैक्टयर भूमि का उपयोग होगा जिसकी की वर्तमान डी.एल.सी. दर 98991 रूपये प्रति बीघा से 4950 रूपये बनती है। दुगुनी दर 9900 रूपये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:26:23 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 14.10.2020 को पत्रावली पेश हुई। हमने सर्वपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2071–74, जमाबन्दी सम्वत 2075–78 दिनांक 12.10.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से प्राप्त

Scanned with CamScanner

रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए मौके पर वर्तमान में आराजी नम्बर 905 से प्रार्थी निकलते है प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए उनके द्वारा मांगा गया रास्ता लघुतम है। विपक्षी की खाते की 0.0048 हैक्टयर भूमि रास्ते के उपयोग हेतु ली जावेगी। रास्ते हेतु 0.0048 हैक्टयर खातेदारी भूमि का उपयोग होगा जिसकी डी.एल.सी. दर 98991 रू. प्रति बीघा से 4950 रू. बनती है। दुगुनी डी.एल.सी. दर 9900 रू. बनती है। प्रकरण प्रथम दृष्ट्या स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान कास्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए (क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70 (1)(II) (a) के अनुसरण में ग्राम काछोला पटवार हल्का काछोला तहसील माण्डलगढ़ के आराजी संख्या 871 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण की ग्राम काछोला पटवार हल्का काछोला की आराजी संख्या 905 की उत्तरी मेर के सहारे सहारे से 0.0048 हैक्टयर भूमि रास्ता हेतु उक्त भूमि की डी.एल.सी. दर 98991 रू. प्रति बीघा से 4950 रू. बनती है। दुगुनी डी.एल.सी. दर 9900 रू. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अदा किये जाने पर एवं अप्रार्थीगण द्वारा इन्कार किये जाने की स्थिति में राजकोष में मद 8443–00–103–00–00 में प्रतिभूति जमा करवाने पर गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता रहेगा। तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन करावें।

आदेश आज दिनांक 14.10.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Utsah

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:26:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner